न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री राम सिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 66/2021

जी0सी0एम0एसः–2021/510

श्रवण सिंह पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

प्रार्थी.....

बनाम

तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

अप्रार्थी..

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 19.08.2021

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्वर 1973 रकवा 0.4000 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम भी रिकार्डेड खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से बावत् कोई विवाद नही है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सुगन सिंह पुत्र प्रेम सिंह दर्ज रिकार्ड है, जो गलत दर्ज रिकार्ड है। इस कारण प्रार्थी किसी भी सरकारी योजना का लाभ नही उठा पा रहा है।

राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम सुगन सिंह पुत्र मेघ सिंह अंकित है। अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्वर 1973 रकवा 0.4000 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम सुगन सिंह पुत्र प्रेम सिंह के वजाय सुगन सिंह पुत्र मेघ सिहं शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलवी वास्ते जवाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी की तरफ से राजकीय पैरोकार न्यायालय में हाजिर आए तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर इस वावत् किये कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर उन्हें कोई एतराज आपत्ति नहीं है। अतः राजहित के मध्यनजर निर्णय पारित किया जाना प्रार्थनीय है।

वहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्वरान के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सुगन सिंह पुत्र मेघ सिंह के वजाय सुगन सिंह पुत्र प्रेम सिंह दर्ज रिकार्ड है, जो गलत दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा मृत्यु प्रमाण पत्र सुगन सिंह, ग्राम पंचायत किशोरपुरा, आधार कार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

श्रवण सिंह एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 ग्राम गुढागौड़जी के वर्तमान खाता संख्या 604 में प्रार्थी के पिता का नाम सही नाम सुगन सिंह पुत्र मेघ सिंह अंकित है। अतः ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1973 रकबा 0.4000 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम सुगन सिंह पुत्र प्रेम सिंह के बजाय सुगन सिंह पुत्र मेघ सिंह किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1973 रकबा 0.4000 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सुगन सिंह पुत्र प्रेम सिंह दर्ज रिकार्ड है, राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अलावा अन्य दस्तावेजों यथा मृत्यु प्रमाण पत्र सुगन सिंह, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत किशोरपुरा, आधार कार्ड श्रवण सिंह एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 ग्राम गुढागौड़जी के वर्तमान खाता संख्या 604, साक्ष्य शपथ पत्र समदर सिंह, श्रवण सिंह में प्रार्थी के पिता का नाम सही नाम सुगन सिंह पुत्र मेघ सिंह अंकित है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम सुगन सिंह पुत्र मेघ सिंह है तथा सुगन सिंह पुत्र मेघ सिंह एवं सुगन सिंह पुत्र प्रेम सिंह दो अलग अलग व्यक्ति ना होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के पिता का नाम सुगन सिंह पुत्र प्रेम सिहं के बजाय सुगन सिह पुत्र मेघ सिंह अंकित किया जाना उचित प्रतित होता है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1973 रकबा 0.4000 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम सुगन सिह पुत्र प्रेम सिंह के बजाय सुगन सिंह पुत्र मेघ सिंह दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 19.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner